कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 166 /प्र.अ./विधि(स्टेनो)./लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 02/04/2026

//अपील निराकरण आदेश//

इस आदेश के माध्यम से श्री शैलेन्द्र पुरोहित सेवानिवृत्त कार्यभारित लाइनमेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रतलाम द्वारा मुख्य अभियंता इंदौर के आदेश क. 464 दिनांक 02.12.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 09.02.2026 का निराकरण किया जा रहा है।

(i) याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री शैलेन्द्र पुरोहित को दैनिक वेतन भोगी सेवा में वर्ष 1985 में नियोजित किया गया था तथा उसे दिनांक 21.02.2006 को स्थायी वर्गीकृत किया गया था। मुख्य अभियंता इंदौर के आदेश दिनांक 10.07.2013 के माध्यम से उसे कार्यभारित स्थापना में लाइनमेन के पद पर नियमित कर दिया गया था। उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2022 को हुई थी।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार किसी कर्मचारी के मामले में त्रुटिपूर्ण वेतन भुगतान के कारण उत्पन्न एरियर राशि हेतु Cause of Action मात्र सेवा में रहने के दौरान ही उत्पन्न होता है। इस सम्बन्ध में M.R. Gupta v. Union of India and Others, (1995) 5 SCC 628 में पारित निर्णय के अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अंतिम वेतन प्राप्त होने तक Cause Of Action उत्पन्न होते रहता है किन्तु सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने को लेकर कोई Cause Of Action उत्पन्न नहीं होता है। निर्णय निम्नानुसार हैः—

> So long as the employee is in service, a fresh cause of action would arise every month when they are paid their salary on the basis of a wrong computation made contrary to the rules.

(iii) यदि त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने यानि वेतन अपडेशन का कोई संबंध नियमितीकरण के उपरांत होने वाले वेतन निर्धारण अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभों से होता है तो यह recurring Cause of Action अथवा Continuing Cause of Action कहलाता है।

याचिकाकर्ता कर्मचारी दिनांक 10.07.2013 से ही त्रुटिपूर्ण वेतन के स्थान पर कार्यभारित स्थापना का सही वेतन निरंतर रूप से प्राप्त कर रहा था। दैनिक वेतन अवधि की परिलब्धियॉ अथवा वेतन एरियर राशि का कोई भी संबंध नियमितीकरण के उपरांत कार्यभारित स्थापना के वेतनमान के निर्धारण या उससे सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले सेवा लाभों जैसे ग्रेज्युटी, पेंशन आदि से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का मामला जैसा कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेख किया गया है, Union of india vs Tarsem Singh (2008) 8 SCC 648 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार Recurring cause of action अथवा Continuing cause of action के अंतर्गत भी नहीं आता है ।

(iv) कंडिका (i) से लेकर (iii) तक के आधार पर निष्कर्षित है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के 03 वर्षो से भी अधिक समय के बाद प्रस्तुत किया गया नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण के दिनांक तक की वेतन एरियर राशि का दावा Cause of Action के अभाव में मेरिट के आधार पर विचारणीय ही नहीं है।

(v) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में अपने दावे के संबंध में विभाग को लगातार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of T. N. Vs. Seshachalam, (2007) 10 SCC 137 द्वारा प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बार–बार अभ्यावेदन देने से कोई Fresh cause of action उत्पन्न नहीं होता है। निर्णय निम्नानुसार है :–

> *"11... filing of representations alone would not save the period of limitation. Delay or laches is a relevant factor for a court of law to determine the question as to whether the claim made by an applicant deserves consideration. Delay and/or laches on the part of a government servant may deprive him of the benefit which had been given to others. Article 14 of the Constitution of India would not, in a situation of that nature, be attracted as it is well known that law leans in favour of those who are alert and vigilant."*

(vi) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में उल्लेख किया गया है कि Union of india vs Tarsem Singh (2008) 8 SCC 648 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार सेवा से उत्पन्न होने वाले वित्तीय लाभ Recurring cause of action के अंतर्गत आते है तथा ऐसे मामलों में अधिक से अधिक एरियर राशि को सीमित किया जा सकता है किंतु दावों को सिरे से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील के इस बिन्दु पर निम्नानुसार विश्लेषण किया जाता है :–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रमांक 5151–5152/2008 "भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय **दिनांक 13 अगस्त 2008** में **"एम.आर. गुप्ता (सुप्रा)"** में निर्धारित Continuing cause of action के सिद्वांत का अनुसरण करते हुए एक अन्य निर्णय Shiv Dass v. Union of India and Others (2007) 9 SCC 274 का उल्लेख करते हुए उस निर्णय के निम्न भाग का उल्लेख किया गया है :–

> (iii) In the case of pension the cause of action actually continues from month to month. That, however, cannot be a ground to overlook delay in filing the petition. ... **If petition is filed beyond a reasonable period say three years normally the Court would reject the same or restrict the relief which could be granted to a reasonable period of about three years."**

> माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में **recurring/successive wrongs** के सिद्वांत को प्रतिपादित करते हुए निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

> (iv) To summarise, normally, a belated service related claim will be rejected on the ground of delay and laches (where remedy is sought by filing a writ petition) or limitation (where remedy is sought by

राजीव

an application to the Administrative Tribunal). One of the exceptions to the said rule is cases relating to a continuing wrong. Where a service related claim is based on a continuing wrong, relief can be granted even if there is a long delay in seeking remedy, with reference to the date on which the continuing wrong commenced, if such continuing wrong creates a continuing source of injury. But there is an exception to the exception. If the grievance is in respect of any order or administrative decision which related to or affected several others also, and if the re-opening of the issue would affect the settled rights of third parties, then the claim will not be entertained. For example, if the issue relates to payment or re-fixation of pay or pension, relief may be granted in spite of delay as it does not affect the rights of third parties. But if the claim involved issues relating to seniority or promotion etc., affecting others, delay would render the claim stale and doctrine of laches/limitation will be applied. In so far as the consequential relief of recovery of arrears for a past period, the principles relating to recurring/successive wrongs will apply. **As a consequence, High Courts will restrict the consequential relief relating to arrears normally to a period of three years prior to the date of filing of the writ petition.**

याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 1985 से लेकर दिनांक 10.07.2013 तक की वेतन अंतर की एरियर राशि को प्राप्त करने के लिये दिनांक 26.08.2025 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट याचिका कमांक 34432/2025 दायर की गयी है । यदि ''तरसेम सिह (सुप्रा)'' प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार एरियर राशि को रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया जावे तो यह पाया जाता है कि उक्त रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक 26.08.2022 तक की एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता आती है। जबकि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2022 को हो चुकी है तथा वह नियमितीकरण के दिनांक 10.07.2013 से ही पूर्णतः सुधरा हुआ एवं सही वेतन प्राप्त कर रहा है तथा उक्त अवधि (दिनांक 10.07.2013 से दिनांक 31.08.2022 तक) में किसी भी तरह की वेतन अंतर की राशि उत्पन्न नहीं होती है।

उक्तानुसार यह पाया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता के प्रकरण में काल्पनिक रूप से Continuing cause of action भी माना जावे तो भी उसे किसी भी प्रकार की एरियर राशि की पात्रता नहीं आती है।

(vii) जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी सेवा में वर्ष 1985 में नियोजित किया गया था तथा उसे दिनांक 21.02.2006 को स्थायी वर्गीकृत किया गया था। मुख्य अभियंता इंदौर के आदेश दिनांक 10.07.2013 के माध्यम से उसे कार्यभारित स्थापना में लाइनमेन के पद पर नियमित कर दिया गया था। उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.08.2022 को हुई थी। परंतु उसने 37 वर्षो का संपूर्ण सेवाकाल, जिसमें लगभग 09 वर्षो का कार्यभारित सेवाकाल भी शामिल है, पूर्ण करने के उपरांत तथा सेवानिवृत्ति के 03 वर्षो के बाद नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण दिनांक तक ही वेतन एरियर राशि के लाभ से संबंधित मुद्दा करीब 40 वर्षो के बाद उठाया है। याचिकाकर्ता उक्त दावे को उसके दैनिक वेतन भोगी सेवाकाल, नियमितीकरण के पूर्व, नियमितीकरण के तत्काल बाद अथवा सेवानिवृत्ति के पूर्व उठा सकता था। उसकी इन सेवा लाभों के बारे में निरंतर रूप से चुप्पी बनी रही है जिसे मौन सहमति–स्वीकृति (Acquiescence) भी कहा जा सकता है। इसका मामला Continuing cause of action के अन्तर्गत नहीं आता है तथा उसे Continuing cause of action के आधार पर किसी भी समय यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस कार्यालय की राय में याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार योग्य नहीं है तथा यह विलंब और अवधि बीत जाने के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

(viii) उपरोक्तानुसार यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता श्री शैलेन्द्र पुरोहित सेवानिवृत्त कार्यभारित लाइनमेन का प्रकरण विलंब, अवधि बीत जाने तथा मौन सहमति–स्वीकृति से संबंधित है। मुख्य अभियंता इंदौर द्वारा याचिकाकर्ता के दावों को इन्हीं आधारों पर अमान्य करना उचित पाया जाता है। प्रस्तुत अपील में कोई मेरिट नहीं होने के कारण ऊपर उल्लेखित आधारों पर इसे निरस्त किया जाता है।

(ix) यदि याचिकाकर्ता श्री शैलेन्द्र पुरोहित, इस कार्यालय द्वारा किये गये इस निराकरण से असंतुष्ट है तो वे इस आदेश के विरूद्ध अपनी अपील 01 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. 2745 / प्र.अ.(विधिं) / लोस्वायांवि. / 2026 भोपाल, दिनांक 02/4/26

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर परिक्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(2) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,खंड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

(4) श्री शैलेन्द्र पुरोहित पुत्र स्वर्गीय श्री विजय बहादुरसिंह पुरोहित, आर./ओ. ई–132, मुखर्जी नगर, जिला रतलाम म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Speed Post

प्रमुख अभियंता